"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 578] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2015 — पौष 9, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्रमांक 12352/डी. 359/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंघल, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्र. 5 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2015

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत:, राज्य विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें :

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2015 कहलाएगा.

   (2) यह 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) को अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुये, प्रभावी होगा.

अनुसूची-2 का संशोधन.

3. (1) मूल अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 के कॉलम (3) के शीर्षक में, शब्द, चिन्ह तथा अंक "धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत)" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा चिन्ह "कर की दर धारा 8 के अधीन कुल कर योग्य राशि के प्रतिशत के रूप में और, कॉलम (2) के सरल क्रमांक 1 और 2 के सामने सूचीबद्ध माल के मामले में, कुल कर योग्य राशि का प्रतिशत और कर की विनिर्दिष्ट दर" प्रतिस्थापित किया जाये.

   (2) मूल अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 के स. क्र. 1 के कॉलम (3) में, अंक "25" के स्थान पर, अंक, चिन्ह तथा शब्द "25 (प्रतिशत) + 1 रुपया प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये.

   (3) मूल अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 के स. क्र. 2 के कॉलम (3) में, अंक "25" के स्थान पर, अंक, चिन्ह तथा शब्द "25 (प्रतिशत) + 2 रुपया प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्रमांक 12352/डी. 359/21-अ/प्रारू./छ. ग./15 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंघल, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 5 of 2015)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2015

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that, the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Aricle 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2015.

(2) It shall come into force from 1st January, 2016.

The Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in Section 3 of this Ordinance.

Amendment of Schedule-II.

3. (1) In the heading of column (3) of PART III of Schedule-II of the Principal Act, for the words, symbols and figure "Rate of tax u/s 8 (percent)", the words, figures and symbols "Rate of Tax under Section 8 as a percentage of taxable turnover and, in respect of goods listed against S. No. 1 and 2 in column (2), a percentage of taxable turnover and a specific Rate of Tax" shall be substituted.

(2) In column (3) of S. No. 1 of PART-III of Schedule-II of the Principal Act, for the figure "25", the figures, symbols and words "25 (percent) + 1 Rupee per litre" shall be substituted.

(3) In column (3) of S. No. 2 of PART-III of Schedule-II of the Principal Act, for the figure "25", the figures, symbols and words "25 (percent) + 2 Rupees per litre" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.